न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2021/181

1. मन्ना लाल आत्मज श्री प्रभूलाल जाति मीणा ।
2. रामचरण आत्मज श्री प्रभूलाल जाति मीणा ।
3. महावीर पुत्र श्री प्रभूलाल जाति मीणा ।
4. सीताराम पुत्री श्री गोविन्दा जाति मीणा निवासीगण ग्राम खाकटा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. किशन लाल पुत्र श्री मांगीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम खाकटा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
2. राज0 सरकार जरिये जिला कलक्टर, बून्दी ।
3. उप पंजीयक अधिकारी, उप. पंजीयक कार्यालय इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार इन्द्रगढ जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री सुरेश वर्मा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 1 की ओर से

निर्णय दिनांकः 21.06.2022

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.03.2021 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट कम 1 ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89, 53 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत किया । उक्त वाद के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम खाकटा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी में कुल 21 किता की रकबा 14.16 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थी कम 1 लगायत 4 के खाते में दर्ज है । वादग्रस्त आराजी में अप्रार्थी कम 1 लगायत 4 का 1/2 हिस्सा व प्रार्थी का 1/4

हिस्सा व अप्रार्थी कम 1 लगायत 3 का 1/4 हिस्सा दर्ज है । इसी प्रकार ग्राम माखीदा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी में खाता संख्या 100 में खसरा नम्बर 479 रकबा 0.95 हैक्टर एवं खाता संख्या 130 में खसरा नम्बर 472 रकबा 0.95 हैक्टर एवं खाता संख्या 103 में खसरा नम्बर 478 रकबा 0.95 हैक्टर भूमि स्थित है । खाता संख्या 100 की खसरा नम्बर 479 रकबा 0.95 हैक्टर भूमि अप्रार्थी कम 01 के खाते में दर्ज है तथा खाता संख्या 103 की खसरा नम्बर 478 रकबा 0.95 हैक्टर भूमि अप्रार्थी कम 02 के खाते में दर्ज है तथा खाता संख्या 130 में खसरा नम्बर 472 रकबा 0.95 हैक्टर अप्रार्थी कम 03 के खाते में दर्ज है । प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 02 में वर्णित कृषि भूमि में मांगीलाल उर्फ मांग्या आत्मज औंकार का हिस्सा 1/2 निहित था । मांगीलाल के दो पुत्र प्रभूलाल व किशनलाल थे । प्रभूलाल का स्वर्गवास मांगीलाल के जीवनकाल में ही हो गया था । मांगीलाल ने प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 02 में वर्णित भूमि में निहित 1/2 हिस्से की उपज से प्राप्त आय से प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 03 में वर्णित भूमि को विक्रय प्रतिफल की एवज में क्रय किया था । लेकिन अप्रार्थी कम 1 लगायत 3 के पिता प्रभूलाल, मांगीलाल का बडा लडका होने के कारण प्रार्थी के पिता प्रभूलाल के नाम का विक्रय पत्र का पंजीयन करवा दिया । विक्रय पत्र के पंजीयन के समय प्रार्थी नाबालिग था । प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 03 में वर्णित भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की आय से क्रय करने की वजह से संयुक्त हिन्दू परिवार की पुश्तैनी भूमि है जिसमें प्रार्थी व अप्रार्थी कम 1 लगायत 3 के पिता प्रभूलाल का 1/2 – 1/2 हिस्सा वैधानिक रूप से निहित है । दोनों ग्रामों की वादग्रसत आराजी के सम्बन्ध में प्रार्थी व अप्रार्थी कम 1 लगायत 3 के माध्य आपसी पारिवारिक बंटवारा हो गया था और उसी अनुसार पक्षकारान अपने – अपने हिस्से पर काबिज काश्त हैं । प्रार्थी द्वारा पक्षकारान के मध्य पूर्व में हुए पारिवारिक विभाजन के अनुसार विभाजन कराने के अधिकारी हैं । यदि दौराने वाद अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया गया तो अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी को नाजायज रूप से बिना बंटवारा कराये ही रहन, बेचान व अन्तरण कर देंगे जिससे प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी । प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में है ।

3. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के पक्ष में अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि अप्रार्थी कम 1 लगायत 3 वादग्रस्त आराजी को मूल वाद के निस्तारण तक रहन, बेचान एवं अन्यथा खुर्द–बुर्द नहीं करे तथा राजस्व रिकॉर्ड के किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करे तथा प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नहीं करें । उक्त कृत्य न तो स्वयं अप्रार्थीगण करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 10.03.2021 के द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण को दौराने वाद दोनों ग्रामों की वादग्रस्त आराजी के मौका एंव रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने एवं मौके स्थिति में परिवर्तन नहीं करने हेतु जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कर दिया ।
5. परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.03.2021 से व्यथित होकर अप्रार्थीगण कम 1 लगायत 4 ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि परीक्षण न्यायालय ने अपीलान्टगण को नोटिस दिये बिना एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना उक्त निर्णय पारित किया है । परीक्षण न्यायालय ने गौर नहीं फरमाया कि ग्राम खाकटा तहसील इन्द्रगढ की कुल 14.16 हैक्टर भूमि में वादी रेस्पोडेन्ट कम 01 का केवल 1/4 हिस्सा व शेष 3/4 हिस्सा

अप्रार्थीगण का है । अप्रार्थीगण अपीलान्ट को अपने हिस्से तक भूमि का हर प्रकार से उपयोग एवं उपभोग करने का अधिकार प्राप्त है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.03.2021 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का प्रस्तुत कर कथन किया कि परीक्षण न्यायालय ने अपीलान्ट को नोटिस दिये बिना एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित किया है । उक्त अपीलाधी निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 01.10.2021 को पटवारी हल्का द्वारा बताने पर हुई । जानकारी प्राप्त होते ही अपीलान्ट ने दिनांक 04.10.2021 को वकील साहब से सम्पर्क कर उसी दिन नकल का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिस पर दिनांक 05.10.2021 को नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । परीक्षण न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि परीक्षण न्यायालय ने अपीलान्ट को नोटिस दिये बिना उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना निर्णय पारित किया है । परीक्षण न्यायालय ने प्रार्थी रेस्पोडेन्ट कम 01 द्वारा प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर समस्त भूमि के बाबत् ताफैसला अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की है । परीक्षण न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं फरमाया कि ग्राम खाकटा तहसील इन्द्रगढ की कुल 14.16 हैक्टर भूमि में वादी रेस्पोडेन्ट कम 01 का केवल 1/4 हिस्सा है शेष 3/4 हिस्सा अप्रार्थीगण अपीलान्टगण का है । अपीलान्टगण को अपने हिस्से तक की भूमि का हकर प्रकार से उपयोग एवं उपभोग करने का अधिकार है । ग्राम माखीदा की आराजी खसरा नम्बर 478 की रकबा 0.78 हैक्टर भूमि अप्रार्थी अपीलान्ट कम 01 मन्ना एवं अपीलान्ट कम 03 महावीर के खाते दर्ज है । खसरा नम्बर 479 रकबा 0.95 हैक्टर भूमि का तन्हा खातेदार अप्रार्थी कम 01 मन्ना लाल है । खसरा नम्बर 472 की सम्पूर्ण 0.95 हैक्टर भूमि का खातेदार अप्रार्थी कम 02 रामचरण है । इस भूमि से प्रार्थी रेस्पोडेन्ट कम 01 का कोई सम्बन्ध नहीं है । ग्राम खाटका तहसील इन्द्रगढ की भूमि के सम्बन्ध में अप्रार्थीगण अपीलान्ट कम 04 ने पूर्व में ही बंटवारे का दावा परीक्षण न्यायालय में पेश कर रखा है जिसमें प्रार्थी रेस्पोडेन्ट कम 01 भी पक्षकार है । उक्त वाद के जैरकार रहते हुए रेस्पोडेन्ट कम 01 द्वारा प्रस्तुत वाद पोषनीय नहीं है । प्रत्येक खातेदार को अपनी एवं अपने हिस्से तक की भूमि का हर प्रकार से उपयोग व उपभोग करने का अधिकार है । एक सहखातेदार दूसरे सहखातेदार को भूमि के उपयोग व उपभोग से वंचित नहीं कर सकता । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । यदि कोई कथित पारिवारिक सेटलमेंट हुआ है तो उसका पंजीकृत होना आवश्यक है । प्रकरण में प्रस्तुत कथित पारिवारिक बंटवारा विधि सम्मत नहीं है तथा न ही साक्ष्य में ग्राह्य है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.03.2021 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरआरटी 2013 (1) पेज 123, आरआरटी 2011–12 (सप्ली0) पेज 217, आरआरटी 2013 (2) पेज 828, आरआरडी 2013

(1) पेज 85, आरआरडी 1998 पेज 79, आरएलडब्ल्यू 2006 (1) पेज 340, सीडीआर 2009 (4) पेज 2069, डीएनजे 2018 (एससी) पेज 798 उद्धरत की ।

9. रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि परीक्षण न्यायालय ने अप्रार्थीगण को नोटिस भिजवाये थे जो विधिवत रूप से उन्हें तामील हुए हैं फिर भी जानबूझकर अप्रार्थीगण अपीलान्ट परीक्षण न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए हैं । प्रार्थी रेस्पोडेन्ट कम 01 ने परीक्षण न्यायालय में वाद अधिकार घोषणा का प्रस्तुत किया है । प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में है । परीक्षण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.03.2021 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होते हैं क्योंकि परीक्षण न्यायालय ने अप्रार्थीगण अपीलान्ट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई है । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

11. परीक्षण न्यायालय की पत्रावली में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2073–2076 संलग्न है जिसके अनुसार ग्राम खाकटा की खाता संख्या नया 09 की कुल 21 किता की रकबा 14.16 हैक्टर भूमि किशनलाल पुत्र मांग्या हिस्सा 1/4, मन्ना, रामचरण, महावीर पि. प्रभूलाल हिस्सा 1/4, सीताराम वल्द गोविन्दा हिस्सा 1/2 के संयुक्त खातेदारी में दर्ज है । फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2072–2075 संलग्न है जिसके अनुसार ग्राम माखीदा की खाता संख्या नया 103 में खसरा नम्बर 478 की रकबा 0.95 हैक्टर भूमि महावीर वल्द प्रभू, मन्ना वल्द प्रभू के खातेदारी में दर्ज है । फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2072–2075 संलग्न है जिसके अनुसार ग्राम माखीदा की खाता संख्या नया 130 में खसरा नम्बर 472 की रकबा 0.95 हैक्टर भूमि रामचरण वल्द प्रभू के खातेदारी में दर्ज है । फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2072–2075 संलग्न है जिसके अनुसार ग्राम माखीदा की खाता संख्या नया 100 में खसरा नम्बर 479 की रकबा 0.95 हैक्टर भूमि मन्ना वल्द प्रभू के खातेदारी में दर्ज है । फोटो प्रति नकल मिलान क्षेत्रफल भू–प्रबन्ध विभाग संलग्न है । फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2015 से 2018 संलग्न है ।

12. परीक्षण न्यायालय की पत्रावली में संलग्न फोटो प्रति राजस्व रिकॉर्ड के अवलोकन से प्रथमदृष्टया प्रतीत होता है कि ग्राम माखीदा की खाता संख्या नया 103 में खसरा नम्बर 478 की रकबा 0.95 हैक्टर भूमि अपीलान्ट कम 01 व 3 के संयुक्त खातेदारी में दर्ज है । ग्राम माखीदा की खाता संख्या नया 130 में खसरा नम्बर 472 की रकबा 0.95 हैक्टर भूमि अपीलान्ट कम 02 के खातेदारी में दर्ज है । ग्राम माखीदा की खाता संख्या नया 100 में खसरा नम्बर 479 की रकबा 0.95 हैक्टर भूमि अपीलान्ट कम 01 के खातेदारी में दर्ज है । ग्राम माखीदा की भूमि में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट सहखातेदार नहीं है । प्रार्थी रेस्पोडेन्ट कम 01 ने परीक्षण न्यायालय में अपने

प्रार्थना पत्र में बिन्दु 07 में पारिवारिक बंटवारे का विवरण दिया है जिसके अनुसार उन्हें ग्राम खाकटा तहसील इन्द्रगढ की 14.16 हैक्टर आराजी में से 32 बीघा 04 बिस्वा भूमि दिये जाने का उल्लेख किया गया है । परीक्षण न्यायालय में प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र में चरण संख्या 02 में ग्राम खाकटा की कुल 21 किता की रकबा 14.16 हैक्टर आराजी में मांगीलाल जी का हिस्सा 1/2 में से 32 बीघा 04 बिस्वा भूमि का खातेदार होने का कथन किया गया है । प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 09 में अंकित किया गया है कि **"प्रार्थी पारिवारिक बंटवारा पत्र चेत्र सुदी 15 सोमवार संवत् 2034 के अनुसार प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 02 में निहित मांगीलाल जी का हिस्सा 1/2 में से 32 बीघा 04 बिस्वा का स्वतः ही खातेदार कृषिक बन चुका है ।"** अर्थात् प्रार्थी मुख्यतः ग्राम खाकटा तहसील इन्द्रगढ की आराजी कुल किता 21 की रकबा 14.16 हैक्टर में से मांगीलाल के 1/2 हिस्से में से 32 बीघा 04 बिस्वा भूमि की मांग कर रहा है । पक्षकारान के स्वत्व अधिकारों को निर्धारण मूल वाद के निस्तारण के समय होगा । पारिवारिक बंटवारा वैध है या नहीं ? यह साक्ष्य के दौरान मूल वाद में ही तय होगा । अतः प्रथमदृष्टया प्रकरण तथा सुविधा का संतुलन प्रार्थना पत्र के चरण संख्या 02 में वर्णित ग्राम खाकटा तहसील इन्द्रगढ की कुल किता 21 की कुल रकबा 14.16 हैक्टर भूमि में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट कम 01 के पक्ष में प्रतीत होता है । परीक्षण न्यायालय ने प्रार्थी रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अप्रार्थीगण अपीलान्ट को दोनों ग्रामों की सम्पूर्ण भूमि के मौके एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण है ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.03.2021 में इस प्रकार संशोधन किया जाता है कि ग्राम माखीदा की आराजी जो अपीलान्टगण के खातेदारी में दर्ज है को छोडकर अप्रार्थीगण अपीलान्ट कम 1 लगायत 3 ग्राम खाकटा तहसील इन्द्रगढ की आराजी कुल किता 21 की रकबा 14.16 हैक्टर आराजी को रहन, बेचान एवं अन्यथा खुर्द–बुर्द नहीं करें । उक्त कृत्य न तो स्वयं अप्रार्थीगण अपीलान्ट करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

14. निर्णय आज दिनांक 21.06.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा